ग्रामीण विकास मंत्रालय

मांग संख्या 82

पेयजल आपूर्ति विभाग

क. वसूलियों को घटाने के बाद, बजट आबंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2003-2004			संशोधित 2003-2004			बजट 2004-2005		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		2750.00	1.38	2751.38	2750.00	1.39	2751.39	3300.00	1.39	3301.39
पूंजी		...	...	...	...	...	...	...	...	...
जोड़		**2750.00**	**1.38**	**2751.38**	**2750.00**	**1.39**	**2751.39**	**3300.00**	**1.39**	**3301.39**
1. सचिवालय-आर्थिक सेवाएं	3451	...	1.32	1.32	...	1.32	1.32	...	1.32	1.32
ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई										
2. त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम	3601	1600.70	...	1600.70	1600.67	...	1600.67	1209.75	...	1209.75
	3602	0.10	...	0.10	0.13	...	0.13	0.25	...	0.25
	2215	725.70	0.06	725.76	725.70	0.07	725.77	1400.00	0.07	1400.07
	जोड़	*2326.50*	*0.06*	*2326.56*	*2326.50*	*0.07*	*2326.57*	*2610.00*	*0.07*	*2610.07*
3. ग्रामीण सफाई	2215	148.50	...	148.50	148.50	...	148.50	360.00	...	360.00
जोड़-ग्रामीण जलापूर्ति और सफाई		**2475.00**	**0.06**	**2475.06**	**2475.00**	**0.07**	**2475.07**	**2970.00**	**0.07**	**2970.07**
4. उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ के लिए बनाई जाने वाली परियोजनाओं/योजनाओं के संबंध में एकमुश्त प्रावधान	2552	275.00	...	275.00	275.00	...	275.00	330.00	...	330.00
कुल जोड़		***2750.00***	***1.38***	***2751.38***	***2750.00***	***1.39***	***2751.39***	***3300.00***	***1.39***	***3301.39***
ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. जलापूर्ति और सफाई	22215	2475.00	...	2475.00	2475.00	...	2475.00	2970.00	...	2970.00
2. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	22552	275.00	...	275.00	275.00	...	275.00	330.00	...	330.00
जोड़	**जोड़**	**2750.00**	**...**	**2750.00**	**2750.00**	**...**	**2750.00**	**3300.00**	**...**	**3300.00**

1. इसमें पेयजल आपूर्ति विभाग के सचिवालय के व्यय की व्यवस्था की गई है।

2. सरकार कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गति में तेजी लाकर देश में सभी ग्रामीण स्थानों को पेयजल की व्यवस्था उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने हेतु वचनबद्ध है। इस प्रयोजनार्थ, सरकार विगत वर्षो से ग्रामीण जलापूर्ति क्षेत्र के लिए वार्षिक केन्द्रीय परिव्यय को उत्तरोत्तर बढ़ा रही है। त्वरित जल आपूर्ति कार्यक्रम के नवीकरण के साथ ही, देश भर में क्षेत्र-सुधार परियोजनाओं के अंतर्गत चुनिंदा 67 प्रायोगिक जिलों में ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं को तैयार करने, उनके कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रखरखाव संबंधी गतिविधियों में सामुदायिक सहभागिता को संस्थागत बनाने के उपायों का परीक्षण किया जा चुका है, तथा सभी परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। क्षेत्र सुधार कार्यक्रम जिसका विस्तार स्वजलधारा कार्यक्रम के रूप में जिला स्तर से नीचे के स्तर तक कर दिया गया है जिसमें पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भागीदारी होगी, प्रधान मंत्री द्वारा दिनांक 25 दिसम्बर,2002 को आरंभ किया गया था। स्वजलधारा योजना मार्च,2004 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल प्रदान करने का एक विशेष प्रयास है। स्वजलधारा योजना की एक खास विशेषता यह है कि इसका कार्यान्वयन, प्रचालन तथा रख-रखाव समुदाय द्वारा किया जाएगा तथा स्वामित्व भी उसके पास होगा। इन परियोजनाओं में समुदाय की भागीदारी एक मुख्य घटक है जिसका प्रयोजन भविष्य में योजना, कार्यान्वयन, प्रचालन तथा रखरखाव को सदैव सुनिश्चित करना है। इस योजना हेतु समुदाय द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान दिया जाता है तथा भारत सरकार द्वारा 90 प्रतिशत निधि प्रदान की जाती है। दिनांक 15 अगस्त, 2002 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुपालन में ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख हैंड पम्प, जल के 1 लाख पारम्परिक स्रोतों के पुनः प्रचालन तथा ग्रामीण क्षेत्रों के 1 लाख विद्यालयों को पेयजल प्रदान करने के लिए भी धनराशि प्रदान की जा रही है।

3. सरकार ग्रामीण लोगों को सफाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के राज्य सरकारों के प्रयासों की पूर्ति को अत्यधिक प्राथमिकता देती रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरणीय सफाई पर अत्यधिक ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से दि. 1.4.99 से केन्द्रीय ग्रामीण सफाई कार्यक्रम की पुनर्सरचना की गयी है । अब इसे परियोजना के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है और इसे जिला-विशेष की आवश्यकताओं के अनुकूल तैयार किया गया है।

4. सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लाभ के लिए एकमुश्त राशि का प्रावधान किया गया है।